कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमॉक/अप्रमुवसंउ0/2003/ 3993 भोपाल,दिनॉक 16/5/03

प्रति,

1— समस्त वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन),
मध्यप्रदेश

2— समस्त वनमण्डलाधिकारी(क्षेत्रीय),उत्पादन कार्य
मध्यप्रदेश

विषयः— काष्ठागार में शुद्ध लाट बनाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस कार्यालय के द्वारा समय समय पर शुद्ध लाट बनाये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है। शुद्ध लाट से तात्पर्य है कि ऐसे लाट जिसमें एक ही प्रजाति, एक ही ग्रेड, एक ही लम्बाई वर्ग एवं एक ही गोलाई वर्ग की काष्ठ रखी गयी हो। दूसरे शब्दों में सामान्यतः शुद्ध लाट में एक ही थप्पी होना चाहिये। इस हेतु काष्ठागार में थप्पीकरण के लिये विशेष रूप से थप्पीकरण प्लान (Staking Plan) बनाया जाना आवश्यक है। इस थप्पीकरण प्लान में एक डंपिंग प्लाट (ट्रक खाली करने की जगह) मध्य में छोड़ा जाता है एवं इसके दोनों ओर काष्ठ की थप्पियॉ लगायी जाती है। काष्ठ की थप्पियॉ लगाते समय डंपिंग प्लाट के एक तरफ उच्च श्रेणी की काष्ठ तथा दूसरी तरफ निम्न श्रेणी की काष्ठ को थप्पीकृत्त किया जाता है। थप्पीकरण करने के लिये विभिन्न लंबाई वर्गों के लिये पृथक–पृथक लंबाई वर्ग के अनुसार लाईने बनायी जाकर प्लाट बनाये जाते है। इस प्रकार एक लंबाई वर्ग के लिये बनायी गयी लाईन में बनाये गये प्लाटों में से एक ही गोलाई वर्ग की काष्ठ को थप्पी करने के लिये प्लाट आरक्षित कर दिया जाता है। इस प्लाट की चौड़ाई एक प्लाट में थप्पी की जाने वाली मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकिया से विभिन्न प्रजाति, ग्रेड एवं लंबाई वर्ग की काष्ठ को मिलाया जाना संभव नहीं हो पाता है। सिर्फ दो निकटतम गोलाई वर्गों की काष्ठ को ही मिलाया जाना संभव हो पाता है। अतः अपरिहार्य परिस्थितियों में निम्नानुसार गोलाई वर्गों की काष्ठ का मिलाकर एक लाट बनाया जा सकता है:—

(ए) लट्ठाः—

1— 60 सें0मी0 गोलाई वर्ग तक की काष्ठ

2— 61 — 75 एवं 76 — 90 सें0मी0 गोलाई वर्ग की काष्ठ

2— 91 — 105 एवं 106 — 120 सें0मी0 गोलाई वर्ग की काष्ठ

2— 120 सें0मी0 गोलाई वर्ग से अधिक की काष्ठ

(बी) बल्ली एवं डेंगरीः—

1— बल्ली/डेंगरी को लट्ठों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिये।

2— बल्ली एवं डेंगरी की काष्ठ को एक साथ नहीं मिलाया जाना चाहिये।

3— 15—20 सें0मी0 गोलाई की बल्ली एवं डेंगरी को 31—40 सें0मी0 की बल्ली/डेंगरी के साथ नहीं मिलाया जांना चाहिये।

उपरोक्तानुसार गोलाई वर्ग की काष्ठ को छोड़कर अन्य किसी गोलाई वर्ग की काष्ठ के साथ मिलाकर लाट नहीं बनाये जाना चाहिये। विदोहन वर्ष 2003—2004 में उपरोक्तानुसार डिपो में लाट बनाये जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश 9.9.2003 की कार्यशाला में दिये जा चुके है, जिसकी एतद द्वारा पुष्टि की जाती है। कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों की यथासंभव पालन कराने की व्यवस्था करें।

नि. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन),
मध्यप्रदेश भोपाल

प्र0क0/ अप्रमुवसंउ0/2003/ 3994 भोपाल, दिनॉक 16/12/03

प्रतिलिपिः—

1— समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2— समस्त वन संरक्षक, कार्य आयोजना, म0प्र0 भोपाल

3— समस्त वन मण्डलाधिकारी कार्य आयोजना, म0प्र0

4— मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना, भोपाल/जबलपुर/इंदौर

5— संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, पोलीपाथर जबलपुर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

नि. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन),
मध्यप्रदेश भोपाल